(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस.

मूलचन्द पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी ग्राम कारी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।	–बनाम–	अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू आदि।
किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जाब्ता दीवानी।		मु.नं. 129 / 2022 **RCMS No**

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
21.09.22	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सीपीसी का आवेदक की ओर से वकील श्री दीपेन्द्र कुमार जाखड़ द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है प्रार्थी को एक उनवानी वाद मूलचन्द बनाम अधिक्षण अभियंता आदि पेश करना आवश्यक है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 04 लोक सेवक है जिनके खिलाफ दावा पेश करने से पूर्व कानूनन उनको अन्तर्गत धारा 80(2) जाब्ता दीवानी के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु किसी भी आवश्यक प्रकृति का वाद पेश करने लिए जाब्ता दीवानी की धारा 80(2) के तहत प्रतिवादीगण लोकसेवक को बिना दो माह का कानूनी नोटिस दिये दावा पेश किये जाने बाबत अदालत हाजा को अनुमति देय जाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। मोजुदा वाद में उक्त सडक का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा प्रतिवादीगण को दो माह का कानूनी नोटिस दिये जाने की अवधि मे विवादितरास्ता पूर्णतया वादी की खातेदारी काश्तकारी व कब्जे की भूमि मे से कायम कर दिया जावेगा जिससे वादी का दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा तथा वादी द्वारा दावे में चाही जा रही सिद्धि विलोपित हो जावेगी। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस देने से छुट दिया जाना कानूनन व न्यायहित में आवश्यक है। ताकि वादी अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ दावा प्रस्तुत कर न्यायालय से सिद्धि प्राप्त कर सके। प्रार्थना पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा वकील वादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। वादी अधीवक्ता की कथनो का मनन किया गया तथा प्रार्थना पत्र एवं वाद की प्रवृति एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद में उक्त सडक का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा प्रतिवादीगण को दो माह का कानूनी नोटिस दिये जाने की अवधि मे विवादितरास्ता पूर्णतया वादी की खातेदारी काश्तकारी व कब्जे की भूमि मे से कायम कर दिया जावेगा जिससे वादी का दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा तथा वादी द्वारा दावे में चाही जा रही सिद्धि विलोपित हो जावेगी। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस देने से छुट दिया जाना कानूनन व न्यायहित में आवश्यक है। ताकि वादी अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ दावा प्रस्तुत कर न्यायालय से सिद्धि प्राप्त कर सके। फलस्वरूप वादी का प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की आपतियों को सुरक्षित रखते हुये स्वीकार किया जाता है तथा फैसल शुमार कर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल [illegible] हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Damyanti Kanwar Date: 2023.01.11 14:30:57 IST Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू	